Vacancybihar.in

प्रोत्साहन योजना • आवेदकों को 60 दिन में मिल जाएगी राशि

अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना के लिए दो सितंबर से ऑनलाइन आवेदन होगा

सिटी रिपोर्टर | पटना

Vacancybihar.in

मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन और बिहार दिव्यांग विवाह योजना का लाभ लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था होगी। समाज कल्याण विभाग दो सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की सेवा शुरू करने जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री इसका पोर्टल लांच करेंगे। इससे आवेदन किस अधिकारी के पास फंसा है, इसकी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी और ऑनलाइन ही आवेदक शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। इससे आवेदकों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सकेगा।

तीन लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी

मुख्यमंत्री अंतरजातीय और बिहार दिव्यांग विवाह योजना में एक लाख की प्रोत्साहन राशि मिलती है। पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर दोनों को एक-एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कोई दिव्यांग लड़का या लड़की अगर अंतरजातीय विवाह करता है तो उन्हें तीन लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। निदेशक ने बताया कि प्रोत्साहन योजना की राशि तीन साल के लिए फिक्स डिपॉजिट होती है।

समाज कल्याण निदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि अबतक डीएम और सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी के पास लिखित आवेदन देना पड़ता था। आवेदन किस अधिकारी के पास अटका है, इसका भी पता नहीं लगता था। आवेदक कार्यालयों का चक्कर काटते रहते थे। खासकर दिव्यांगों को काफी परेशानी होती थी। इस समस्या को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर आवेदकों के एकाउंट में मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना और बिहार दिव्यांग विवाह योजना का लाभ जाएगा।